



बिहार विधान-सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 508

परिवहन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2006-07, 2007-08 एवं 2009-10 (राजस्व प्राप्तियाँ) की कड़िकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

दिनांक को सदन में उपस्थापित।

नेवसाईट अपलाई
कृपा कर्मिक

२०३२
१३/०९/१७

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 2012-13 ..	'क'
2. लोक लेखा समिति का वित्तीय वर्ष 2007-08 ..	'ख'
3. लोक लेखा समिति की उप-समिति (3) का गठन ..	'ग'
4. सभा सचिवालय के पदा0/कर्मचारी/ प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण । ..	'घ'
5. प्राक्कथन ..	'ङ'
6. प्रतिवेदन ..	1-27
वर्ष	कड़िका
2000-01 (रा0प्रा0)	5.03 1-2
2001-02 "	4.03 3-4
2001-02 "	4.04 5-6
2001-02 "	4.05 7-8
2002-03 "	4.4 9
2002-03 "	4.5 10
2002-03 "	4.5.1 11
2002-03 "	4.5.2 12
2006-07 "	4.6 13
2006-07 "	4.7 14-15
2007-08 "	4.2 16-21
2007-08 "	4.3 22-23
2007-08 "	4.7 24
2007-08 "	4.8 25
2009-10 "	4.11 26-28

बिहार विधान-सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वित्तीय वर्ष 2012-13 (पंचदश बिहार विधान-सभा)

सभापति

1. श्री ललित कुमार यादव स०वि०स०

सदस्यगण

2. डॉ० अच्युतानंद स०वि०स०

3. श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव स०वि०स०

4. श्री अशोक कुमार स०वि०स०

5. श्री मंजीत कुमार सिंह स०वि०स०

6. श्री अभिराम शर्मा स०वि०स०

7. श्री अरुण शंकर प्रसाद स०वि०स०

8. श्री दिनोद नारायण झा स०वि०स०

9. श्रीमती उषा सिन्हा स०वि०स०

10. श्री कृष्णनन्दन यादव स०वि०स०

11. श्री जावेद इकबाल अंसारी स०वि०स०

12. श्री राणा गंगेश्वर सिंह स०वि०स०

13. श्री नीरज कुमार स०वि०प०

14. श्री (मो०) हारुण रशीद स०वि०प०

15. श्री मंगल पाण्डे स०वि०प०

ख
बिहार विधान-सभा सचिवालय

वित्तीय वर्ष 2007-08 (बारहवीं विधान-सभा)

लोक लेखा समिति

सभापति

1. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी

संवि०स०

सदस्यगण

2. श्री हरिनारायण सिंह

संवि०स०

3. श्री दामोदर रावत

संवि०स०

4. श्री पन्ना लाल सिंह पटेल

संवि०स०

5. श्रीमती रेणु कुमारी (क्षे० सं० 122)

संवि०स०

6. श्री रामेश्वर प्रसाद

संवि०स०

7. श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव

संवि०स०

8. श्री शोभा कान्त मंडल

संवि०स०

9. श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा

संवि०स०

10. श्री रामदेव राय

संवि०स०

11. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

संवि०स०

12. डॉ० शम्भु शरण श्रीवास्तव

संवि०प०

13. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

संवि०प०

14. श्री रामचन्द्र प्रसाद

संवि०प०

15. श्री संजय सिंह

संवि०प०

ग

बिहार विधान-सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति की उप-समिति (3) का गठन वर्ष 2012-13

सभापति

1. श्री ललित कुमार यादव

संविंस०

संयोजक

2. श्री मंजीत कुमार सिंह

संविंस०

सदस्यगण

3. श्री कृष्णनन्दन यादव

संविंस०

4. श्री नीरज कुमार

संविंस०

घ

बिहार विधान-सभा सचिवालय

श्री फुल झा	प्रभारी सचिव
श्री हरeram मुखिया	प्रभारी संयुक्त सचिव
श्री चन्द्र भूषण पाठक	उप-सचिव
श्री रूप नारायण मिश्र	अवर-सचिव
श्री भूदेव राय	अवर-सचिव
श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी
श्री गणेश कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
श्रीमती अनुपमा प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी
श्री उमाशंकर यादव	वरीय लिपिक
श्री राजीव रंजन III	कनीय लिपिक
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह	कनीय लिपिक
श्री अरविंद कुमार दास	कनीय लिपिक
श्री रंजय कुमार	कनीय लिपिक

प्रधान महालेखाकार कार्यालय

श्री परवेज आलम	उप-महालेखाकार
श्री अतुल प्रकाश	उप-महालेखाकार
श्री अनिल कुमार वर्मा	वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
श्री अरविंद कुमार	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

वित्त विभाग

श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव
श्री अशोक प्रियदर्शी	उप-सचिव

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से परिवहन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2006-07, 2007-08 एवं 2009-10 (रा0प्रा0) की कड़िका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सं0 508वाँ प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 22 फरवरी, 2013 की बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया है ।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अपने अथक परिश्रम देकर समिति को जो सहयोग दिया है, वह अविस्मरणीय है । इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने जो अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग प्रदान किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ ।

पटना :
दिनांक 22 फरवरी, 2013 (ई०) ।

ललित कुमार यादव,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

सी0ए0जी0 के अंकेशन प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) वर्ष 2000-01
की कडिका 5.03 पृष्ठ 47 पर द्रष्टव्य ।

5.03 अभ्यर्पण में अन्तर्गत वाहनों से कर का उद्ग्रहण नहीं होना

त्रि.मो.वा.क. अधिनियम, 1994 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन जब मोटर वाहन मालिक अपने वाहन का उपयोग किसी निश्चित अवधि के लिए जो एक समय में छः महीने से अधिक नहीं होगी, नहीं करना चाहता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर-भुगतान से छूट दी जा सकती है। बशर्ते छूट का दावा आवश्यक साक्ष्यों जैसे, निबंधन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, कर-प्रतीक आदि से समर्थित हो। वाहन को उपयोग में नहीं लाने की अवधि के लिए विहित विधियों के अनुसरण के बाद ही वह कर भुगतान से छूट पाने योग्य है। उसे समय-समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी को अभ्यर्पण की अवधि विस्तार, यदि कोई हो, को बढ़ाने हेतु वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(क) 2 जिला परिवहन कार्यालयों (भागलपुर और मोतिहारी) में यह देखा गया (फरवरी और मार्च 2001) कि मार्च 1997 और अप्रैल 2000 के बीच 34 वाहनों के प्रलेख अनुपयोग की अवधि के लिए अभ्यर्पित किये गये थे। लेकिन अधिनियम में विहित प्रावधानों के विरुद्ध विहित अवधि के समाप्त होने के बाद भी बिना अवधि विस्तार के लिए नये वचन पत्र के ही वाहनों को अभ्यर्पित रखा गया। अभ्यर्पण के छः महीने के बाद की अवधि विस्तार के लिए घोषणा पत्र के अभाव में वाहन मालिक अप्रैल 1997 और दिसम्बर 2000 की अवधि के लिए 14.45 लाख रुपये के कर का देनदार था।

इसे बताया जाने पर (फरवरी और मार्च 2001) संबंधित जि.प.प. ने कहा (फरवरी और मार्च 2001) कि अभ्यर्पण रद्द करने की कार्यवाई की जाएगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

(ख) जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर में यह देखा गया (फरवरी 2001) कि 12 मोटर वाहनों से जनवरी 1993 और दिसम्बर 2000 के मध्य पड़ने वाली विभिन्न अवधि के लिए पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ था जबकि कर भुगतान से छूट के आवेदनो को, वाहन के निर्दिष्ट स्थानों पर नहीं पाये जाने के कारण जैसा कि मोटर यान निरीक्षक/जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर रद्द कर दिया गया था (अप्रैल 1996 और दिसम्बर 2000 के मध्य)। इस प्रकार 12.15 लाख रुपये राशि के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इसे बताया जाने पर (फरवरी 2001) जि.प.प., भागलपुर ने कहा (फरवरी 2001) कि बकाये कर के उद्ग्रहण हेतु मांग पत्र निर्गत किया जायेगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

विभागीय स्पष्टीकरण

जिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा 17 में विहित प्रावधान तथा जिहार मोटर वाहन करारोपण निम्नमाफली 1994 के नियम 15 में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन कर प्रस्तावित वाहन पर प्रत्यर्पण स्वीकार नहीं है तथा ऐसे वाहनों से अनियमित प्रत्यर्पण अकाल के लिए देय है। निर्माण संबंधित वाहन करने हेतु मांग पत्र निर्गत

(11)

किए गए हैं तथा नीलामण्डल बाद वापस किया गया है।
जिन मामलों में अकलुष नीलामण्डल का फायदा नहीं
हुआ है, उनमें अगिले नीलामण्डल बाद वापस
करके का निदेश दिया गया है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 13.6.2007 की बैठक में समिति द्वारा दस निदेश
के साथ कि नीलामण्डल में लगभग 100 करोड़ का मामला
फँसा हुआ है, जो कि यह सम्बन्धित का मामला है
इसलिए इसके लिये गति के कार्रवाई की जाए।
परिवहन विभाग एक सुनिश्चित रणनीति बनाकर तीन
माह के अन्दर अभियान चलाये और उसके
अंतर्गत टैक्स की वसूली की जाए तथा एक अभियान
चलाकर वसूली की जाए, कम्पोजिट चेक पोस्ट की
गति को तेज किया जाए और जो रिक्तियाँ हैं
जिनकी वजह से काम बाधित हो रहे हैं, उनको अगिले
भर जाए। इन्फिन्ट्री की समीक्षा स्वयं मुख्य
सचिव करें और समीक्षा करके समिति के वस्तुस्थिति
से अनगत करके 'क' एवं 'ख' को निर्यात किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तिर्याँ) वर्ष 2001-02

की कंडिका 4.03 पृष्ठ सं0 36-37 पर द्रष्टव्य ।

4.03 वाहनों से कर वसूली नहीं होना

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन जब मोटर वाहन मालिक अपने वाहन का उपयोग किसी खास अवधि के लिए जो एक समय में छः महीने से अधिक नहीं होगी, नहीं करना चाहता है तों उसे संक्षम प्राधिकारी द्वारा कर भुगतान से छूट दी जा सकती है बशर्त छूट

का दावा आवश्यक साक्ष्यो जैसे पंजीयन प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, कर प्रतीक आदि से समर्थित हो। वाहन को उपयोग में नहीं लाने की अवधि के लिए विहित विधियों के अनुसरण के बाद ही वह कर भुगतान से छूट पाने के योग्य होगा। यदि कथित अवधि के विस्तार की जरूरत हो, वाहन मालिक को, संकलित करारोपण अधिकारी को अवधि विस्तार हेतु वचन पत्र जमा करना चाहिए।

(क) दो जिला परिवहन कार्यालयों (मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ) में यह देखा गया (अप्रैल एवं अगस्त 2001 के बीच) कि 54 मोटर वाहनो के कागजात फरवरी 1998 एवं नवम्बर 2000 के बीच अम्यर्पित किये गये परन्तु किसी भी वाहन मालिक द्वारा अवधि बढ़ाने हेतु वचनपत्र प्राप्त नहीं हुए। ऐसे वचनपत्र के अभाव में, वाहन मालिक अगस्त 1998 से अगस्त 2001 के बीच की अवधि के लिए 15.60 लाख रुपये के कर भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

इन्हें बताये जाने पर (अप्रैल और अगस्त 2001) जिला परिवहन अधिकारी (जि0 प0 अ0), पूर्णिया ने कहा (अप्रैल 2001) कि मॉग पत्र निर्गत किये जायेंगे जबकि जि0 प0 अ0, मुजफ्फरपुर ने कहा (अगस्त 2001) कि मामलो की जाँच की जायेगी एवं तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गए (जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2002) हैं।

(ख) तीन जिला परिवहन कार्यालयों में देखा गया (जुलाई 2000 और सितम्बर 2001 के बीच) कि जनवरी 1994 एवं सितम्बर 2001 के बीच की अवधि के लिए 23 मोटर वाहनो से कर की वसूली नहीं हुई यद्यपि जिलों परिवहन अधिकारी/राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा अभ्यर्पण के आवेदन अस्वीकृत/रद्द कर दिये गये थे। इसके फलस्वरूप 11.49 लाख रुपये राशि के कर की वसूली नहीं हुई।

इन्हें बताये जाने पर (जुलाई 2000 और सितम्बर 2001 के बीच), जिला परिवहन अधिकारी भागलपुर और पटना ने कहा (जुलाई 2000 और फरवरी 2001 के मध्य) कि मॉग पत्र निर्गत किये जायेंगे जबकि जि0 प0 अ0, रोहतास ने कहा (अक्टूबर 2001) कि जाचोपरान्त उचित कार्रवाई की जायेगी। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

विभागीय स्पष्टीकरण

4.3(क)

जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ को स्पष्ट प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देश दिया गया है।

4.3 (ख)

1. जिला परिवहन कार्यालय, रोहतास (सासाराम)-इस कंडिका में कुल 10 आपत्तिग्रस्त वाहनों जिसमें सन्निहित राशि 5,28,322.00 रु० है। उसमें से 9 वाहनों पर निलामपत्र वाद दायर किया गया एवं 1 वाहन जिसका निबंधन संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के द्वारा निबंधन को रद्द कर दिया गया।

2. जिला परिवहन कार्यालय, पटना- इस कंडिका में कुल 9 आपत्तिग्रस्त वाहनों में जिसमें सन्निहित राशि- 7,58,360.00 रु० है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 8 वाहनों पर निलामपत्रवाद दायर किया गया राशि- 7,42,820.00 रु० है।

(ख) 1 वाहन पर डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया राशि-15,540.00 रु० है।

4.3(ख)

1. जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर - इस कंडिका में कुल 5 आपत्तिग्रस्त वाहनों हैं, जिसकी स्थिति निम्नवत् है :-

(क) 2 वाहन से वसूल की गई राशि- 38,846.00 रु० है।

(ख) 2 वाहन पर निलामवाद दायर किया गया राशि- 1,05,122.00 रु० है।

(ग) 1 वाहन (बीआरआई/4223) कर माफ़ी से संबंधित है, जिसमें सन्निहित राशि- 16,893.00 रु० है, जिसे कर माफ़ी हेतु जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर के पत्रांक 2595 दिनांक 14.06.2000 के द्वारा संयुक्त परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को भेजा गया है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 17-8-12 के बैठक में समिति द्वारा प्रधान मण्डलेश्वर की राय एवं वित्त विभाग की सहमति से इस निर्देश के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी समस्त समस्त पर नीलास पदाधिकारी के साथ बैठक कर समिति के अवगत कराने इस निर्देश को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तिर्यौ) वर्ष 2001-02
की कंडिका 4.04 पृष्ठ 38 पर द्रष्टव्य ।

4.04 वाहनौ के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप राजस्व की कम वसूली

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था का मोटर वाहन जिसका उपयोग पूर्णतः शैक्षणिक संस्था के विद्यार्थियों या कर्मचारियों के परिवहन या तत्संबंधी किसी भी क्रिया-कलाप के लिए होता है 'आमनीबस' वाहन माना जाता है और तदनुकूल कर का आशेषण होता है। जुलाई 1994 में निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त (रा0 प0 आ0), बिहार के कार्यपालक निर्देशानुसार यह सुविधा उस संस्था को नहीं मिलेगी जिस संस्था को बिहार अथवा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है। पुनः, राज्य सरकार द्वारा मई 1998 में निर्गत अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त सुविधा वापस ले ली गई थी तथा ऐसे वाहनौ का कर उनके बैठने की क्षमता के आधार पर किया जाना था।

जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर में देखा गया (सितम्बर 2001) कि 12 मोटर वाहन जो बिहार अथवा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय, विद्यालय या किसी शैक्षणिक संस्था के नाम में निबंधित नहीं थे, फिर भी उन्हें 'आमनीबस' माना गया और कम दर पर कर वसूले गये जिसके फलस्वरूप अक्टूबर 1994 और अप्रील 2001 के बीच की अवधि के लिए 6.22 लाख रुपये के कर कम वसूले गये ।

इन्हें बताये जाने पर (सितम्बर 2001), जि0 प0 आ0 ने कहा (सितम्बर 2001) कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

विभागीय स्पष्टीकरण

जिला परिवहन कार्यालय भगलपुर:- इस कंडिका में कुल 12 आपत्तिग्रस्त वाहन जिसकी राशि 599174.00 रु है जिसकी स्थिति निम्नवत् है :-
 (क) 10 वाहन से वसूली गई राशि 384777.00 रु है ।
 (ख) 2 वाहनो पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 214397.00 रु है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 25.6.10 के बैठक में समिति द्वारा इसमें भी विभाग का जो रिपोर्ट है, उसमें चार वाहन हैं और 10 वाहन से वसूली की गयी है। 2 वाहन पर निलाम पत्र दायर किया गया है जो इस लेख में जो निलाम पत्र दायर किया गया है जो उसकी आयतन खर्च से समिति को अवगत कराया जाय इस विषय के कार्य निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) वर्ष 2001-02
की कड़िका 4.05 पृष्ठ 38-39 पर द्रष्टव्य ।

4.05 अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों का निष्पादन

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार सभी लेन-देन को अविलम्ब लेखे में लाना है एवं सभी प्राप्तियों को लोक-लेखे में जमा करा देना है। संबंधित राज्यों से प्राप्य-संयुक्त शुल्क विषय के बैंक ड्राफ्ट के लिए एक बैंक-ड्राफ्ट पंजी का संधारण करना है। राज्य परिवहन आयुक्त (रा0 प0 आ0) द्वारा जमा किये गये बैंक ड्राफ्टों में निहित राशि की उगाही के लिए राज्य सरकार ने कुछ सशरीयकृत बैंकों को प्राधिकृत किया है। रा0 प0 आ0 के अनुदेशानुसार (मार्च 1996) अप्रैल से फरवरी के बीच बैंकों द्वारा संग्रहित राशि को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में इस प्रकार स्थानान्तरित करना है कि माह विशेष की सभी प्राप्तियों आनेवाले माह के प्रथम सप्ताह तक स्थानान्तरित हो जाय। जहाँ तक मार्च माह में जमा किये गये प्राप्तियों का प्रश्न है, इसे 31 मार्च तक स्थानान्तरित कर देना है ताकि एक वित्तीय वर्ष में जमा किये गये सभी प्राप्तियों उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी लेखे में स्थानान्तरित हो जाएँ। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार (जून 1995) सरकार के लेखे में विलम्ब से प्रेषण के लिए बैंकों द्वारा 11.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर पर ब्याज देय है।

(i) बैंक ड्राफ्टों के पुनर्वैधीकरण के अभाव में राजस्व का उदग्रहण नहीं होना

रा0 प्र0 आ0, पटना के अभिलेखों के नमूना जाँच (मई 2002) में देखा गया कि अन्य राज्यों से संयुक्त शुल्क के 49.96 लाख रुपये से अर्न्तग्रस्त अप्रील 1994 और जनवरी 2001 के बीच की अवधि के 4911 बैंक ड्राफ्ट, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रा0 प0 आ0 कार्यालय को जनवरी 2002 में पुनर्वैधीकरण हेतु लौटाये गये, परन्तु विभाग द्वारा (मई 2002) वैधीकृत नहीं किये जाने के फलस्वरूप सरकारी लेखे में राजस्व का उदग्रहण नहीं हुआ।

(ii) बैंक शेष के विरुद्ध चेक का निर्गत नहीं होना

पटना में 27 बैंक है जहाँ संयुक्त शुल्क से संबंधित बैंक ड्राफ्ट जो दूसरे राज्य/आर0 टी0 ए0 से प्राप्त होते हैं रा0 प0 आ0 द्वारा संग्रहण के लिए जमा किये जाते हैं। 31 मार्च 2002 तक 7 बैंकों में 2.19 करोड़ रुपये का अन्तशेष था। इसे सरकार के लेखे में जमा कराने तथा आर0 बी0 आई के अनुदेशानुसार 11.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाने के लिए रा0 प0 आ0 द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके फलस्वरूप बैंकों को अनुचित वित्तीय लाभ मिला।

(iii) बैंकों द्वारा राजस्व संग्रहण को जमा करने में विलम्ब

संग्रहणकर्ता बैंकों ने संग्रहित राजस्व को एस0 बी0 आई0, सचिवालय शाखा, पटना के माध्यम से सरकार के लेखे में विहित अवधि में जमा करने में विफल रहे और यह विलम्ब 1 महीना और 9 महीने से अधिक के बीच पाया गया। बैंकों द्वारा राजस्व को समय से जमा करने को सुनिश्चित करने के लिए विभाग प्रभावशाली उपाय करने में अक्षम रहा। इसके फलस्वरूप मई 2001 और फरवरी 2002 के बीच की अवधि के लिए ब्याज के रूप में 80.15 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

विभागीय स्पष्टीकरण

अन्य राज्यों से कम्प्यूटिड शुल्क के रूप में प्राप्त बिहार राज्य के बैंक ड्राफ्टों को कम्प्यूटर शाखा में इंटी कराने के बाद समेकित रूप से इंडियन बैंक को उपलब्ध कर दिया जाता है। इंडियन बैंक से प्रतिमाह बैलेंस स्टेटमेंट प्राप्त कर समस्त राशि की निकासी कर शीर्ष "0041-वाहनो पर कर" में चेक के माध्यम से सचिवालय शाखा, सिंघाई भवन प्रतिमाह जमा कर दी गयी है।

वर्ष 1994 से 2007 के मध्य कुल 8178 स्टेल् बैंक ड्राफ्टों में निहित लगभग 1.82 करोड़ रुपये की राशि में से कुल 1.70 करोड़ की राशि को रिवैलीडेट कराकर सरकारी खाते में जमा किया जा चुका है। शेष को रिवैलीडेट कराने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2002 में समय शीर्ष "0041" में राशि जमा नहो करने के कारण निर्धारित ब्याज नहीं मिलने के कारण हुई क्षति का प्रश्न है, के संबंध में कहना है कि सभी बैंकों को पूर्व में भी समय-समय पर यह निदेश दिया जाता है कि सभी बैंक प्राप्त राशि को शीर्ष "0041" में प्रत्येक माह निश्चित रूप से जमा करेंगे। (एनेक्चर-11पत्र)। इस मामले पर बैंकों से ब्याज प्राप्त करने हेतु उन्हें अपेक्षित कार्रवाई प्रारम्भ करने का विभाग द्वारा सूचना दी गई है। परिवहन विभाग के पत्रांक 2606 दिनांक 27.06.02 तथा पत्रांक 868 दिनांक 25.02.08 द्वारा सभी बैंकों को इस संबंध में नोटिस भेजी गई है।

संयुक्त शुल्क के लिए विभाग में पूर्व में सभी बैंकों में खोले गये खाते को वर्ष 2008 से बंद कर दिया गया था। वर्तमान में एक ही बैंक इंडियन बैंक में संयुक्त शुल्क के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्टों को जमा किया जाता है।

इस बैंक में दिनांक 30.03.10 तक जमा हुई समस्त राशि को शीर्ष-"0041" में 31.03.10 तक जमा कर दिया गया है।

समिति की अनुमति

दिनांक 17.8.12 की बैठक में समिति द्वारा
विभागीय उत्तरदायी ^{माधव चंद्र झा} मधुबनी और विना विभाग
के समिति के उपरान्त इस संदेश के
निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) वर्ष 2002-03
की कंडिका 4.4 पृष्ठ 40 पर द्रष्टव्य ।

4.4 अभ्यर्पण के अस्वीकृत/रद्द होने पर कर का उद्ग्रहण नहीं होना

राज्य परिवहन आयुक्त (रा. प. आ.), बिहार के द्वारा 12 जनवरी 1990 को जारी अनुदेशों के अनुसार इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व तीन महीने से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित किये गये वैसे वाहनों के मालिकों को सूचना की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अभ्यर्पित कागजात वापस लेने सम्बन्धी सूचना भेजनी थी, अन्यथा अभ्यर्पण स्वतः अस्वीकृत हो जायगा तथा अर्धदंड सहित कर की वसूली उनसे की जायगी।

जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर में पाया गया कि वर्ष 1988-1989 के दौरान कर भुगतान से छूट प्राप्त करने हेतु पाँच मोटर वाहनों के कागजात अभ्यर्पित किये गये। जि. प. प. ने कागजातों की जाँच के बाद जून 1998 में अभ्यर्पण को अस्वीकृत कर दिया परन्तु फरवरी 1990 से कर की वसूली नहीं किया। फलस्वरूप 7.42 लाख रुपये के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इसे बताया जाये पर जि. प. प. ने जुलाई 2002 में कहा कि वसूली हेतु माँग पत्र जारी किया जायगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामला सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2004)।

निर्भागीय स्फुटीकरण

जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर- इस कंडिका में कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 5 है जिसकी राशि 213201.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
(क) 1 वाहन का अद्यतन कर भुगतान 31.09.2011 तक है। जिसकी राशि 92252.00 रु है।
(ख) 4 वाहन पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 117949.00 रु है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 21.12.2012 की बैठक में समिति द्वारा
'बचपने राशि की वसूली के फलफल से समिति
को आवगत कराये' साचही निर्भागीय लाफान
के आलेख में 20 अडिक् के निवेदित किया
जाता ।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2002-03
की कंडिका 4.4 पृष्ठ 40 पर द्रष्टव्य ।

4.4 अभ्यर्पण के अस्वीकृत/रद्द होने पर कर का उद्ग्रहण नहीं होना

बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधान के अन्तर्गत सभी लेन-देन को अविलम्ब लेखापित करना चाहिए तथा लोक लेखा में जमा करना चाहिए। सरकार द्वारा जून तथा नवम्बर 1978 में जारी अनुदेशों के अनुसार संग्रहणकर्ता बैंकों को करारोपण अधिनियम के अन्तर्गत वाहन मालिकों द्वारा जमा कराया गया कर, फीस आदि की राशि का हस्तान्तरण भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.), सचिवालय शाखा, पटना में करना है। 1996 में जारी रा. प. आ. के अनुदेश के अनुसार वाहन मालिकों द्वारा अप्रील से फरवरी तक बैंक में जमा कराये गये राशि का हस्तान्तरण एस. बी. आई., सचिवालय शाखा, पटना में इस प्रकार होना है कि पिछले माह की सभी प्राप्तियाँ अगले माह के प्रथम सप्ताह तक हस्तान्तरित हो जाये। पुनः मार्च माह में कराये गये सभी जमा राशि का हस्तान्तरण 31 मार्च तक अवश्य हो जाये ताकि एक वित्तीय वर्ष की सभी प्राप्तियाँ उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी खाता में हस्तान्तरित हो जाये। 1995 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार सरकारी खाता में बिलम्बित जमा राशि पर 11.30 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज बैंक द्वारा भुगतये है।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. जिला परिवहन कार्यालय पटना - इस कंडिका के संबंध में सूचित किया है कि इस कार्यालय के कम्प्यूटर कोषांग के द्वारा संग्रहित कर एवं शुल्क पंजाब नेशनल बैंक, गांधी मैदान, पटना शाखा में जमा किया जाता था, जहाँ सरकारी खाते में राजस्व हस्तांतरित होने में विलम्ब होने के कारण पत्र सं० 2628 दिनांक 29.06.06 द्वारा निदेश दिया गया कि सभी राजस्व प्राप्तियों को अगले माह के प्रथम सप्ताह में तथा सभी राशियों को उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को हस्तांतरित कर दिया जाये। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में उपरोक्त प्रासंगिक खाता को बन्द कर दिया गया है एवं दिनांक 15.01.07 से इंडियन बैंक, बिस्कोमान भवन शाखा में जमा किया जा रहा है, एवं प्रत्येक माह में दो बार अन्तरण हेतु ट्रेजरी चलान के साथ चेक जमा किया जा रहा है।
2. जिला परिवहन कार्यालय, मधुबनी- द्वारा सूचित किया गया है कि विभिन्न वाहन मालिकों के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, मधुबनी में शीर्ष-041 वाहन कर मद में जमा किये गये राशि को प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में निश्चित रूपसे सरकार के खाता में अन्तरण कर दिया जाता है।

समिति के अनुश्रवण

दिनांक 17.8.2012 को बैठक में समिति द्वारा निर्णय
आणक में
उत्तर में
विभागीय अधिकारी एवं प्रमुख अधिकारी के समिति के उपरान्त
इस कंडिका को निरूपित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेंक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2002-03
की कंडिका 4.5.1 पृष्ठ सं0 40-41 पर द्रष्टव्य ।

4.5.1 सरकारी खाता में राजस्व का हस्तान्तरण नहीं करने के कारण राजस्व की वसूली का नहीं होना

जि. प. प., पटना तथा रा. प. आ., बिहार, पटना के कार्यालयों में पाया गया कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 31 मार्च 2002 को 33.99 लाख रुपये तथा दो बैंकों में 31 मार्च 2003 को 2.86 करोड़ रुपये अन्त शेष था जिसका हस्तान्तरण एस.बी.आई. सचिवालय शाखा, पटना के माध्यम से सरकारी खाता में उसी वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर, जि. प. प. पटना ने नवम्बर 2002 में कहा कि 30 मार्च 2002 को 32.40 लाख रुपये का एक चेक जारी किया गया फिर भी इसे 31 मार्च 2002 तक सरकारी खाता में हस्तान्तरित नहीं किया गया। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि राशि चेक के माध्यम से 5 अप्रैल 2002 को भेजी गयी थी। पुनश्च, रा. प. आ., पटना ने मई 2003 में कहा कि 2.14 करोड़ रुपये की शेष राशि के सरकारी खाता में हस्तान्तरण की प्रक्रिया चेक के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में संग्रहित राशि को सरकारी खाता में उसी वित्तीय वर्ष में जमा करना होता है।

विभागीय स्पष्टीकरण

अनुपालन स्थिति

परिवहन विभाग के पत्रांक 2372 दिनांक 17.04.08 एवं पत्रांक 7361 दिनांक 12.12.08 के द्वारा सभी बैंकों को ससमय राजस्व की राशि बिहार सरकार के खाते में स्थानान्तरित करने का निदेश दिया गया है।

जिला परिवहन कार्यालय के राजस्व ₹0 32.40 लाख के बिलम्ब से सरकार के खाते में स्थानान्तरण के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को स्पष्ट स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया है।

संज्ञिति श्री अनुमंडल

दिनांक - 17.8.2012 को बैठक में संज्ञिति द्वारा
विभागीय उत्तर पर विचार विमर्श और उपर्युक्त
की संज्ञप्ति के उपरान्त इस कंडिका को निष्पादित
किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2002-03 की कड़िका 4.5.2 पृष्ठ सं0 41 पर द्रष्टव्य ।

4.5.2 ब्याज के रूप में राजस्व की हानि

जि. प. प., पटना तथा रा. प. आ., बिहार, पटना के कार्यालयों में पाया गया कि पंजाब नेशनल बैंक, पटना द्वारा वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 में तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इन्डियन बैंक तथा कारपोरेशन बैंक, पटना द्वारा वर्ष 2002-2003 में संग्रहित कर राशि का एस. बी. आई. सचिवालय शाखा, पटना में विहित समय के अन्दर सरकारी खाता में उसी वित्तीय वर्ष में भेजने हेतु हस्तान्तरण नहीं किया गया। बिलम्ब एक माह से सात माह के मध्य था। इस प्रकार ब्याज के रूप में 38.91 लाख रुपये सरकारी राजस्व की हानि हुई।

इसे बताये जाने पर जि. प. प., पटना ने नवम्बर 2002 तथा मई 2003 में कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा एवं रा. प. आ., बिहार, पटना ने कहा कि ब्याज की राशि जमा कराने हेतु संबंधित बैंकों को निर्देशित किया जा रहा है। तत्पश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामला में सरकार को सितम्बर 2003 प्रतिवेदित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त हुआ है (अगस्त 2004)।

विभागीय स्पष्टीकरण

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना द्वारा इस कड़िका के संबंध में सूचित किया है कि इस कार्यालय का कर एवं शुल्क की संग्रहित राशि पंजाब नेशनल बैंक, गांधी मैदान शाखा में जमा किया जाता था। सरकारी खाते में राशि बिलम्ब होने के कारण अंकक्षणक द्वारा आपत्ती उठाये जाने पर पत्रांक 2682 दिनांक 29.06.06 के द्वारा निदेश दिया गया कि पिछले माह की सभी प्राप्तियाँ अगले माह के प्रथम सप्ताह में एवं वर्ष की सभी प्राप्तियाँ उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। पश्चात् इसके उपरोक्त खाते को बन्द कर दिनांक 15.01.07 से सभी प्राप्तियाँ (राजस्व संग्रहण) इन्डियन बैंक, बिस्कोमान भवन शाखा में जमा किया जा रहा है एवं प्रत्येक माह में दो बार सरकारी खाते में राशि अन्तरण हेतु डेजरी चलान के साथ चेक जमा किया जा रहा है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक - 17.8.2012 की बैठक में समिति द्वारा
विभागीय उत्तर पर विचार विमर्श और ^{सुझाव} महालेखाकार
की सहमति के उपरान्त इस कड़िका को निष्पादित
किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2006-07
की कंडिका 4.6 पृष्ठ 37-38 द्रष्टव्य ।

4.6 टैक्स टोकन का अनियमित निर्गमन

बिहार मोटर वाहन करधान अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो विहित कर भुगतान करता है, को करारोपण पदाधिकारी इसके लिए विहित प्रपत्र में रसीद टैक्स टोकन उपलब्ध कराएगा। पुनः करारोपण पदाधिकारी किसी मोटर वाहन संबंधित वर्तमान अवधि का कर अथवा अर्धदण्ड, यदि कोई हो, तब तक व्यक्ति को टैक्स टोकन निर्गत नहीं करेगा जब तक कि कर एवं देय अर्धदण्ड के बकाए का पूर्णरूपेण भुगतान/निपटारा न कर लिया गया हो।

जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा के करधान पंजी के फरवरी 2007 में नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी ने जून 2002 से अक्टूबर 2006 के अवधि से संबंधित बकाए कर एवं अर्धदण्ड वसूली किये बगैर वर्तमान अवधि हेतु कर प्राप्त कर 19 परिवहन वाहनों को टैक्स टोकन निर्गत कर दिया। चूंकि किसी भी वाहन हेतु मूल कागजातों के अभ्यर्पण के पश्चात् कर के भुगतान में छूट का बकाया नहीं किया गया था, बकाए की वसूली किये बगैर वर्तमान कर की वसूली कर टैक्स टोकन निर्गत किया जाना अधिनियम का उल्लंघन था तथा इसके परिणामस्वरूप 5.32 लाख रुपये के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

मामला इंगित किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने फरवरी 2007 में बतलाया कि वाहन मालिकों को माँग पत्र निर्गत किया जायेगा। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2007)।

बेगुसराय एवं मुंगेर

मामला सरकार को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

विभागीय स्पष्टीकरण

01. जिला परिवहन कार्यालय शेखपुरा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 19 है। राशि 531697.00 ₹ है। सभी वाहनों पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 21.12.2012 की बैठक में समिति द्वारा इससे सम्बन्धित पूछी करके एवं इसके दोषी पदाधिकारी को तो उपर कार्यवाई करके निम्न लक्षित को अग्रगत करा दे इस अर्थ के साथ निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2006-07
की कंडिका 4.7 पृष्ठ 38 द्रष्टव्य ।

4.7 स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड का अनियमित निर्गमन

बिहार मोटरवाहन नियमावली के साथ पठित मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने अक्टूबर 2003 में स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड योजना, जिसे गोल्डन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत की। ये प्रीपेड कार्ड, मालवाहकों के भार क्षमता पर आधारित भिन्न-भिन्न मूल्यों, जिसमें अधिक मालों के माप एवं मालों को उतारने तथा इसके भंडारण इत्यादि पर शुल्क भी सम्मिलित है, के थे। योजना एवं राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार उपरोक्त कार्ड अहस्तांतरणीय थे तथा बिहार में निबंधित वाहनों, जिनके पास वैध निबंधन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट तथा टैक्स टोकन थे एवं अन्य राज्यों में निबंधित वैध वाहन जिन्हें निम्नतम 28 दिन का राज्य में परिचालन हेतु अस्थायी परमीट प्राप्त थे, एक कैलेंडर माह हेतु जारी करना था।

तीन जिला परिवहन कार्यालयों के स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड से संबंधित अभिलेखों की दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2007 के बीच नमूना जाँच में पाया गया कि कर का अद्यतन भुगतान, योग्यता प्रमाण पत्र, बीमा तथा वैध परमिट सुनिश्चित किये बगैर 2.31 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न श्रेणियों के 8,573 कार्ड, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा अक्टूबर 2003 से नवम्बर 2006 की अवधि के दौरान निर्गत किये गये थे। स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड, किन वाहनों को निर्गत किये गये थे, का विवरण दर्शाने हेतु कोई अभिलेख संघारित नहीं था। इस प्रकार, स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड के उपयोग हेतु निर्धारित शर्तों की अवहेलना करते हुए 2.31 करोड़ रुपये मूल्य के 8,573 स्पेशल एग्रीमेंट कार्डों का, परिवहकों द्वारा विभिन्न वाहनों हेतु उपयोग के लिए, अनियमित निर्गमन किया गया था, जो सरकारी राजस्व के क्षरण को प्रश्रय देता है।

मामले इंगित किये जाने के बाद दो जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दिसम्बर 2006 तथा मार्च 2007 के बीच बतलाया कि मामले को पूर्ववर्ती जिला परिवहन पदाधिकारियों को संदर्भित किया जाएगा, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने मार्च 2007 में कहा कि मामले की जाँच नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारियों, मोतिहारी एवं सहरसा के उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि पदस्थ जिला परिवहन पदाधिकारी अभिलेखों की जाँच, कार्रवाई तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों के समुचित उत्तर देने हेतु सक्षम प्राधिकारी थे। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को मई एवं जून 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभागीय कंप्यूटर क्रॉसिंग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड का अनियमित निर्गमन के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:-

1. जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर:- माह अक्टूबर 2003 से मार्च 2006 तक की अवधि में कुल 4440 कार्ड के विरुद्ध 13500000.00 (एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये) बैंक में जमा किये गये।
2. जिला परिवहन कार्यालय, मोतिहारी:- माह अक्टूबर 2003 से मार्च 2006 तक की अवधि में कुल 4186 कार्ड के विरुद्ध 13740000.00 (एक करोड़ पैंतीस लाख छियासी हजार रुपये) बैंक में जमा किये गये।
3. जिला परिवहन कार्यालय, सहरसा:- माह नवम्बर 2003 से मार्च 2006 तक की अवधि में कुल 298 कार्ड के विरुद्ध 299000.00 दो लाख नवसठ हजार रुपये) बैंक में जमा किये गये।

इस तरह उक्त कंडिका में अप्रतिष्ठित कार्ड की संख्या 5473 है जबकि कंप्यूटर क्रॉसिंग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल कार्ड की संख्या 8924 है। इसी तरह उक्त कंडिका में अप्रतिष्ठित राशि 2.31 करोड़ जबकि इसके विरुद्ध 24080000.00 (दो करोड़ चालीस लाख अठ्ठी हजार रुपये) बैंक में जमा किये गये।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में इस कडिका को निष्पादित किया गया ।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) वर्ष 2007-08 की कंडिका 4.2 पृष्ठ 39 पर द्रष्टव्य ।

4.2 मोटर वाहन पर कर की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत मोटर वाहन कर का भुगतान उसी निबन्धन प्राधिकारी को किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन निबन्धन निवास स्थान/व्यवसाय स्थल के परिवर्तन की स्थिति में, वाहन मालिक नये निबन्धन प्राधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है, यशर्त की पूर्ववर्ती निबन्धन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। पुनः निबन्धन प्राधिकारी, वाहन मालिक को कर के भुगतान से छूट प्रदान कर सकता है, यदि वह समुष्ट हो कि कृपण मालिक द्वारा विहित शर्तों को पूरा कर लिया गया है। समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा गौग पत्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है तथा गौग पत्र का जवाब नहीं दिये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गमित कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार नीलामवाद प्रक्रिया आरम्भ किया जाना है। 90 दिनों से भी अधिक समय तक कर का भुगतान नहीं किये जाने पर देय कर का 200 प्रतिशत की दर पर अर्शदण्ड लगाया जाता है।

अप्रैल 2006 एवं मार्च 2008 के बीच 37 जिला परिवहन कार्यालयों के कर अधिनियम पत्रों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 1,320 परिवहन वाहन के मालिकों ने यद्यपि जुलाई 2002 एवं जून 2007 के बीच की अवधि से संबंधित 10.23 करोड़ रुपये के कर का भुगतान नहीं किया था फिर भी, जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दोषी वाहन मालिकों से बकाये की वसूली हेतु कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की थी। फिर भी मामले में मालिकों के पते में परिवर्तन होने अथवा कर भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए वाहनों के कागजात अभ्यर्पित किए जाने का उल्लेख अभिलेख पर नहीं पाया गया। इसके फलस्वरूप 200 प्रतिशत की दर पर 20.45 करोड़ रुपये के अर्शदण्ड सहित कुल 30.68 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद 34 जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अप्रैल 2006 एवं मार्च 2008 के बीच कहा कि गौग पत्र निर्गत किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय ने दिसम्बर 2007 में कहा कि गौग पत्र निर्गत कर दिया गया है, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, भन्नुआ ने अक्टूबर 2007 में कहा कि नीलामवाद की कार्रवाई आरम्भ की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं दिया गया था।

मामले सरकार को नवम्बर 2006 एवं मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2008)।

विभागीय स्पष्टीकरण

यह कंडिका कुल 37 जिला परिवहन कार्यालय से संबंधित है जिसमें 1320 आपत्तिग्रस्त वाहन का मामला है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

1. जिला परिवहन कार्यालय गोपालगंज:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 20 है जिसमें सन्निहित राशि 1543503.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
(क) 2 वाहनों से वसूली गई राशि 154824.00 है।
(ख) 18 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 1388679.00 रु है।

2. जिला परिवहन कार्यालय नवादा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 41 है जिसमें सन्निहित राशि 4432281.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
(क) 1 वाहन से वसूली गई राशि 97740.00 रु है।
(ख) 40 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 4334541.00 रु है।

3. जिला परिवहन कार्यालय रोहतास (सासाराम):- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 38 है जिसमें सन्निहित राशि 13242390.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 12 वाहन से वसूली गई राशि 1531962.00 रु है।
(ख) 26 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 11410428.00 रु है।

4. जिला परिवहन कार्यालय सिवान:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 96 है जिसमें सन्निहित राशि 1358119.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 2 वाहन से वसूली गई राशि 95277.00 रु है।

(ख) 94 वाहनों पर माँग पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 1262842.00 रु है।

5. जिला परिवहन कार्यालय खगड़िया:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 75 है जिसमें सन्निहित राशि 6953963.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 3 वाहन से वसूली गई राशि 194268.00 रु है।

(ख) 72 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 6542346.00 रु है।

(ग) दंड की राशि जो वसूलनीय नहीं है 217349.00 रु है।

6. जिला परिवहन कार्यालय कटिहार:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 11 है जिसमें सन्निहित राशि 1775967.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 1 वाहन से वसूली गई राशि 423816.00 रु है।

(ख) 2 वाहन जो अग्नि कांड में पूरी तरह नष्ट हो गया जिसका निबंधन रद्द कर दिया गया जिसकी राशि 2,57,970.00 रु है।

(ग) 8 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 1094181.00 रु है।

7. जिला परिवहन कार्यालय बेगुसराय:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 80 है जिसमें सन्निहित राशि 7392270.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 15 वाहनों से वसूली गई राशि 1531257.00 रु है।

(ख) 65 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 5861013.00 रु है।

(ग) 13 वाहनों पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर औपबधिक कर प्रतीक निर्गत किया गया।

8. जिला परिवहन कार्यालय शिवहर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 17 है जिसमें सन्निहित राशि 3117564.00 रु है। सभी वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया।

9. जिला परिवहन कार्यालय लखीसराय:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 19 है जिसमें सन्निहित राशि 1753449.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 2 वाहनों से वसूली गई राशि 94752.00 रु है।

(ख) 05 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 1046946.00 रु है।

(ग) 11 वाहनों पर माँग पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 611751.00 रु है।

10. जिला परिवहन कार्यालय बेतिया:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 41 है जिसमें सन्निहित राशि 17258673.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 29 वाहनों से वसूली गई राशि 10153913.00 रु है।

(ख) 01 वाहन (बीआर-22ए/4287) का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 02.12.2002 को निर्गत किया गया है जिसपर 404436.00 रु बकाया दर्शाया गया है। जो नियमानुसार सही नहीं है। इस पर 10558349.00 रु की प्राप्ति हो चुकी है जिसपर अर्धदंड के रूप में 1722832.00 रु है। जो नियमानुसार वसूलनीय नहीं है। इस प्रकार 12281181.00 रु की वसूली हुई है।

(ग) 11 वाहनों पर माँग पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 4977492.00 रु है।

11. जिला परिवहन कार्यालय शेखपुरा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 5 है जिसमें सन्निहित राशि 30000.00 रु है। सभी वाहनों से वसूली हो चुकी है।

12. जिला परिवहन कार्यालय मुजफ्फरपुर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 83 है जिसमें सन्निहित राशि 21701071.00 रु है। जिसकी स्थिति

निम्नवत् है:-

- (क) 13 वाहनों से वसूली गई राशि 1361203.00 रु है।
 (ख) 70 वाहनों पर मीग पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 20339868.00 रु है।
13. जिला परिवहन कार्यालय बक्सर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 38 है जिसमें सन्निहित राशि 12118473.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
 (क) 12 वाहनों से वसूली गई राशि 2862500.00 रु है।
 (ख) 26 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 9255973.00 रु है।
14. जिला परिवहन कार्यालय बंका:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 6 है जिसमें सन्निहित राशि 1676607.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
 (क) 2 वाहनों से वसूली गई राशि 520617.00 रु है।
 (ख) 4 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 1155990.00 रु है।
15. जिला परिवहन कार्यालय भोजपुर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 45 है जिसमें सन्निहित राशि 17332380.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
 (क) 8 वाहनों से वसूली गई राशि 3906144.00 रु है।
 (ख) 37 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 13426236.00 रु है।
16. जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 29 है जिसमें सन्निहित राशि 14460436.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
 (क) 5 वाहनों से वसूली गई राशि 2791566.00 रु है।
 (ख) 24 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 11668870.00 रु है।
17. जिला परिवहन कार्यालय छपरा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 10 है जिसमें सन्निहित राशि 115100.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
 (क) 1 वाहनों से वसूली गई राशि 253060.00 रु है।
 (ख) 9 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 862040.00 रु है।
18. जिला परिवहन कार्यालय जमुई:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 119 है जिसमें सन्निहित राशि 10360461.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
 (क) 9 वाहनों से वसूली गई राशि 1226390.00 रु है।
 (ख) 105 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 9131171.00 रु है।
 (ग) 5 वाहनों पर अनापत्ति प्रमाण निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 2900.00 रु है।
19. जिला परिवहन कार्यालय भागलपुर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 27 है जिसमें सन्निहित राशि 10794050.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
 (क) 7 वाहनों से वसूली गई राशि 2637799.00 रु है।
 (ख) 20 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 8156251.00 रु है।
20. जिला परिवहन कार्यालय गया:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 59 है जिसमें सन्निहित राशि 12626652.00 रु है। सभी वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया है।
21. जिला परिवहन कार्यालय मुंगेर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 57 है जिसमें सन्निहित राशि 987898982.00 रु है। सभी वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया है।
22. जिला परिवहन कार्यालय कौमुर्(भभूआ):- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 38(वास्तव में 37) है जिसमें सन्निहित राशि 18215337.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
 (क) 13 वाहनों से वसूली गई राशि 5760951.00 रु है।
 (ख) 23 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 11656950.00 रु है।
 (ग) 01 वाहन (बीआर-45जी/094) जिसका निबंधन टूट के रूप में नहीं है राशि 253809.00 रु है।
 (घ) 01 वाहन का अभिलेख कर माफी हेतु विभाग को भेजा गया है जिसकी राशि 74,902.00 रु है। उसे विभागीय आदेश सं०-2252 दिनांक 11.04.08 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, जिसे निष्पादित समझा जाय।

23. जिला परिवहन कार्यालय वैशाली:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 15 है जिसमें सन्निहित राशि 1661750.00 रु है। सभी वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया है।

24. जिला परिवहन कार्यालय मोतिहारी:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 68 है जिसमें सन्निहित राशि 9835313.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 5 वाहनों से वसूली गई राशि 742851.00 रु है।

(ख) 60 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 8660606.00 रु है।

(ग) 01 वाहन पर जिला परिवहन पदाधिकारी वैशाली के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है। जिसका राशि 149613.00 रु है।

(घ) 2 वाहन जिसका अंकेशन दल के द्वारा गलत वाहन संख्या अंकित किया गया है (बीआर-05एपी/0819) जिसकी राशि 137724.00 एवं (बीआर-05एपी/2815) जिसकी राशि 144519.00 रु है। कुल दोनों वाहनों का योग 282243.00 रु है।

25. जिला परिवहन कार्यालय पूर्णिया:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 36 है जिसमें सन्निहित राशि 9059381.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 2 वाहनों से वसूली गई राशि 499071.00 रु है।

(ख) 30 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 7602119.00 रु है।

(ग) 3 वाहन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दायर किया गया की राशि 593790.00 रु है।

(घ) 1 वाहन पर कर भुगतान की राशि 364401.00 रु है।

26. जिला परिवहन कार्यालय नालंदा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 26 है जिसमें सन्निहित राशि 7904630.00 रु (वास्तविक राशि 7784630.00) है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 8 वाहनों से वसूली गई राशि 3434924.00 रु है।

(ख) 18 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 4349706.00 रु है। (कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की राशि जोड़ने के उपरान्त ही 120000.00 रु अधिक अंकित हो गया है)

27. जिला परिवहन कार्यालय सहरसा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 6 है जिसमें सन्निहित राशि 1676607.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 2 वाहन जिसका कर प्रतीक निर्गत किया गया की राशि 5,20,617.00 रु है।

(ख) 4 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 11,55,990.00 रु है।

28. जिला परिवहन कार्यालय सीतामढ़ी:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 253 है जिसमें सन्निहित राशि 1,55,53,502.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 24 वाहनों से वसूली गई राशि 17,20,992.00 रु है।

(ख) 229 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 1,38,32,512.00 रु है।

29. जिला परिवहन कार्यालय सुपौल:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 135 है जिसमें सन्निहित राशि 7367254.00 रु है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 58 वाहनों को जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 356 दिनांक 16.06.2011 के द्वारा आर.टी.ए. सहरसा को निलामपत्र वाद दायर करने के लिए भेजा गया जिसकी राशि 3930022.00 रु है।

(ख) 36 वाहनों को जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 355 दिनांक 16.06.2011 के द्वारा जिला निलामपत्र वाद पदाधिकारी, सुपौल को निलामपत्र वाद दायर करने के लिए भेजा गया जिसकी राशि 1099569.00 रु है।

(ग) 1 वाहन (बी.आर.-50/0286) दो बार अंकित हो गया है (क्रमांक 108 पर)

जिसकी राशि 63,882.00 रु० है ।

(घ) 3 वाहन जिसमें दो मोटरसाइकिल एवं एक स्कूटर है (बी.आर.-50/1294) जिसकी राशि 27,630.00 (क्रमांक-32 पर), बी.आर.-50/7860 जिसकी राशि 73,500.00 (क्रमांक 40 पर) तथा बी.आर.-50/0412 जिसकी राशि 7,353.00 (क्रमांक 115 पर) । तीनों का योग 1,08,483 रु० है ।

(ङ) 3 वाहन का अद्यतन कर भुगतान की राशि 1,30,297.00 रु० है (जो क्रमांक-45, 52 एवं 71 पर है)

(च) 32 वाहन स्वामियों के द्वारा सर्वसमा योजना के तहत जमा राशि 18,94,304.00 रु० है जिसमें से 1,60,000 की राशि क्षमा की गयी ।

(छ) 2 वाहन पर अंकेक्षण के पूर्व ही निलामपत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 1,40,697.00 रु० है ।

(ज) 94 वाहनों पर निलामपत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 50,29,591.00 रु० है ।

30. जिला परिवहन कार्यालय जहानाबाद:- कुल आपतिग्रस्त वाहनों की संख्या 54 है जिसमें सन्निहित राशि 9324015.00 रु० है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 6 वाहनों से कर भुगतान की राशि 2527680.00 रु० है।

(ख) 36 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 4933578.00 रु० है।

(ग) 2 वाहन जिसका पथ कर गया परिवहन कार्यालय में जमा किया जा रहा है (क्रमांक-1 एवं 3 पर अंकित वाहन) जिसकी राशि 9,33,408.00 रु० है ।

(घ) 1 वाहन (क्रमांक 11 पर अंकित है) का वाहन संख्या-बी.आर.-25/5556) जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा काको धाना में पकड़कर रखा गया है जिसकी राशि 3,89,439.00 रु० है ।

(ङ) 7 वाहन जिसका एकमुश्त कर भुगतान कर दिया गया है की राशि 3,60,000.00 रु० है ।

(च) 1 वाहन (बी.आर.-25/725 जो क्रमांक 43 पर अंकित है, जो ओटो रिक्रश है) जिसकी राशि 60,000.00 रु० है ।

(छ) 1 वाहन (बी.आर.-25/3487) जो क्रमांक 49 एवं 25 पर है जो दोबारा अंकित हो गया है की राशि 60,000.00 रु० है ।

31. जिला परिवहन कार्यालय पटना:- कुल आपतिग्रस्त वाहनों की संख्या 142 है जिसमें सन्निहित राशि 4,94,80,641.00 रु० है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 4 वाहनों से वसूली गई राशि 11,73,390.00 रु० है।

(ख) 125 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 4,24,19,237.00 रु० है।

(ग) 13 वाहनों पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में औपबोधक कर निर्गत किया गया ।

32. जिला परिवहन कार्यालय मधुबनी:- कुल आपतिग्रस्त वाहनों की संख्या 21 है जिसमें सन्निहित राशि 8311199.00 रु० है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 2 वाहनों से कर भुगतान की राशि 319746.00 रु० है।

(ख) 19 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 7991453.00 रु० है।

33. जिला परिवहन कार्यालय किरानगंज:- कुल आपतिग्रस्त वाहनों की संख्या 16 है जिसमें सन्निहित राशि 823800.00 रु० है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 12 वाहनों से वसूली गई राशि 659484.00 रु० है।

(ख) 04 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 164316.00 रु० है।

34. जिला परिवहन कार्यालय मधेपुरा:- कुल आपतिग्रस्त वाहनों की संख्या 70 है जिसमें सन्निहित राशि 7222962.00 रु० है। सभी वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया।

35. जिला परिवहन कार्यालय औरंगाबाद:- कुल आपतिग्रस्त वाहनों की संख्या 43 है जिसमें सन्निहित राशि 6442968.00 रु० है। सभी वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया।

36. जिला परिवहन कार्यालय अरवल:- कुल आपतिग्रस्त वाहनों की संख्या 09 है जिसमें सन्निहित राशि 375036.00 रु० है। परन्तु वास्तविक राशि 387706.00 रु० है। जिसका वाहन चार स्थिति निम्नवत् है:-

क. बीआर-56/0211 जिसकी आपतिग्रस्त राशि 59499.00 रु० है। जिसमें से 18670.00 रु० की वसूली की गई शेष राशि 40829.00 रु० पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया।

- ख. बीआर-56/0174 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 63000.00 रु जिसमें से 16600.00 रु की वसूली की गई शेष राशि 46400.00 रु पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।
- ग. बीआर-56/0205 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 56004.00 रु जिसमें से 6095.00 रु की वसूली की गई शेष राशि 49909.00 रु पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।
- घ. बीआर-56/0365 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 23041.00 रु जिसमें से 13577.00 रु की वसूली की गई शेष राशि 9464.00 रु पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।
- ड0. बीआर-56/0263 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 12417.00 रु जिसमें से 6435.00 रु की वसूली की गई शेष राशि 5982.00 रु पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।
- च. बीआर-56/0420 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 6207.00 रु है जिसपर पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।
- छ. बीआर-56/0288 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 42000.00 रु है जिसपर पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।
- ज. बीआर-56/0172 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 56604.00 रु है जिसपर पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।
- झ. डब्लुबी-15ए/5424 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 68934.00 रु है जिसपर पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 22.9.2011 की बैठक में समिति द्वारा इस निर्देश के साथ कि वसूली संबंधी जो प्रक्रियाएं लागू की गई हैं उन्हें फलानुस सं समिति को अवगत करा भी जाय, विभागीय जमाना तथा ^{सुधान} महालेखाकार की सहमति से आलोक में निम्नपादित किया गया ।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2007-08
की कंडिका 4.3 पृष्ठ 39-40 पर द्रष्टव्य ।

4.3 डेलरो के विरुद्ध कर की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत ट्रेलरों के मालिकों को विहित दर पर पथ कर तथा अतिरिक्त मोटर वाहन के का भुगतान करना है। उपरोक्त अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि कृषि वाहन जो परिवहन में उपयोग किए गए एक मोटर वाहन को सिर्फ कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग

[illegible]

किया जाना नहीं माना जाएगा। समय पर कर की वसूली सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिल्ला परिवहन पदाधिकारी को गाँव का सूजन तथा तदनुसार कर की वसूली करनी है। अगर कर के भुगतान में 90 दिनों से अधिक का विलम्ब हो तो वग कर की राशि के लगाने दर पर अर्धदण्ड आरोपित किया जाएगा।

दिसम्बर 2007 एवं मार्च 2008 के बीच छः जिला परिवहन कार्यालयों के कारागार प्रजियों के नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 421 ट्रैलरों के मालिकों ने यद्यपि जुलाई 2002 एवं जून 2007 के बीच की अवधि से संबंधित पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया था, फिर भी विभाग ने दोषी वाहन मालिकों के विरुद्ध किररी प्रकार की गैंग का शासन नहीं किया था। इसके फलस्वरूप अर्थात् सहित 2.46 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

भारतले इंगित किये जाने के बाद राखित जिला परिहास पदाभ्यासिकों ने दिसम्बर 2007 एवं मार्च 2008 के बीच कहा कि मॉग पत्र निर्गत किया जायेगा। आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2008)।

मामले सरकार को अप्रैल एवं मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. जिला परिवहन कार्यालय, पटना:- कुल 181 ट्रेलर आपतिग्रस्त है, सन्निहित राशि 1,23,85,082.00 रुपये है। उक्त में से 33 वाहनों द्वारा 22,87,735.00 रूपया एकुमरत कर भुगतान किया गया है। शेष 148 वाहनों के विरुद्ध जिसमें सन्निहित राशि 10097347.00 रूपया है। उक्त राशि की वसूली हेतु निलाम पत्रवाद दायर किया गया है।

2. जिला परिषद कार्यालय, बेतिया:- कुल 26 डेस्क आपतिग्रस्त है, जिसमें सन्निहित राशि 15,37,353.00 रूपया है। 17 डेस्क से एकपुत्र कर 10,97,697.00 रूपये की वसूली की गई है। 09 याहनों के विरुद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि-4,99,656.00 रूपया है।

3. जिला परिवहन कार्यालय, सीतामढ़ी कुल 26 वाहनों आपत्तिग्रस्त के विरुद्ध 22 वाहन मालिकों पर दि०-26/03.2010 को डिमाण्ड नोटस जारी किया गया है एवं 4 वाहन मालिकों द्वारा 2,42,904.00 रुपये जमा किया गया है।

4. जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा कुल 118 ट्रेलर आपत्तिग्रस्त में से 25 ट्रेलर से वसूल की गई राशि 10,89,689.00 तथा 93 ट्रेलर पर नीलाम पत्रवाद की राशि 64,77,278.00 रु है।
5. जिला परिवहन कार्यालय, मधुबनी कुल आपत्तिग्रस्त 57 ट्रेलरों में आपत्तिग्रस्त राशि 3432408.00 रु है। जिसमें से 12 वाहनों द्वारा कर भुगतान किया गया जिसकी राशि 84917.00 रु है। शेष 45 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया। जिसकी राशि 3347491.00 रु है।
6. जिला परिवहन कार्यालय, सहरसा कुल 45 ट्रेलर आपत्तिग्रस्त पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 27,98,988.00 रु है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 22-9-2011 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि वसूली संबंधी जो प्रक्रियाएं बनाई गई हैं उन्हें फलानुसार से समिति को अवगत करनी जाए, विभागीय जवाब तथा ^{स्थान} मसलेशवाकर की सहमति के आलेख में निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2007-08 की कंडिका 4.7 पृष्ठ 43 पर द्रष्टव्य ।

4.7 द्वितीयक निबंधन प्रमाण पत्र के अनियमित निर्गमन/स्वामित्व के हस्तांतरण के कारण कर की वसूली नहीं किया जाना

समय-समय पर निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त, बिलार के कार्यालयक अंतर्गत, निर्गत अद्यतन सितम्बर 1996 में जारी किया गया है, के अनुसार कर के चोरी राकने हेतु एक परिवहन वाहन के संबंध में विहित फीस तथा अद्यतन कर एवं व्यक्तिगत वाहन के मामले में एकमुश्त कर का भुगतान किये जाने के बाद ही संबंधित निबंधन प्राधिकार द्वारा स्वामित्व का हस्तांतरण, द्वितीयक निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत, मोटर वाहन के गिरवी को मंजूर/समाप्त किया जाना है।

अक्तूबर एवं दिसम्बर 2007 के बीच जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर तथा पटना के निबंधन पंजी एवं कराधान पंजी के तिर्यक जाँच के दौरान यह पाया गया कि आठ परिवहन वाहनों के मामले में कर का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किये गये गैर स्वामित्व का हस्तांतरण, द्वितीयक निबंधन प्रमाण पत्र इत्यादि की अनुमति दी गई/निर्गत की गई थी। इस चूक से न केवल राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश का उल्लंघन हुआ बल्कि सितम्बर 2002 एवं जून 2007 के बीच की अवधि के लिए अर्थदण्ड सहित 24.86 लाख रुपये के कर की वसूली भी नहीं हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अक्तूबर एवं दिसम्बर 2007 के बीच कहा कि मौग पत्र निर्गत किया जायेगा। आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

मामले सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. जिला परिवहन कार्यालय, पटना:- कुल 8 आपत्तिग्रस्त वाहन में से 3 वाहन का कर भुगतान हो चुका है। शेष 5 वाहन पर नीलाम पर दायर किया गया है। जिसकी राशि 1298544.00 रु. है।
2. जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर:- कुल 2 आपत्तिग्रस्त वाहन हैं। उक्त दोनों वाहन से कर का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। जिसकी राशि 59208.00 रु. है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 14.2.2011 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय जवाब एवं महालेखाकार की लक्ष्मि से इस कंडिका को निःपवादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तिर्याँ) वर्ष 2007-08
की कंडिका 4.8 पृष्ठ 43-44 पर द्रष्टव्य ।

4.8 अतिरिक्त निबन्धन फीरा की वसूली नहीं/कम किया जाना

बिहार मोटर वाहन नियामकली, 1992 के अनुसार अगर कोई वाहन मालिक अनुक्रम से वाहन एक विशेष निबन्धन संख्या के लिए आवेदन करता है तब 100 रुपये का अतिरिक्त फीस आरोपित किया जाएगा। बिहार सरकार ने जून 2003 में एक अधिसूचना से द्वारा अतिरिक्त फीस की दर को प्रत्येक मामले में 5,000 रुपये पुनरीक्षित कर दिया। यह अधिसूचना उसमें निर्दिष्ट विशेष निबन्धन संख्या के लिए 5000 रुपये से 25,000 रुपये तक की अतिरिक्त फीस भी निर्धारित करता है।

मई 2008 तथा फरवरी 2008 के बीच पाँच जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच जाँच के दौरान यह पाया गया कि जून 2003 और नवम्बर 2008 के बीच निबन्धन 101 वाहनों का अतिरिक्त निबन्धन फीस या तो वसूली नहीं की गई थी अथवा इसकी वसूली पुनरीक्षण से पूर्व की दर पर की गई थी। इसके फलस्वरूप 5.24 लाख रुपये के अतिरिक्त निबन्धन फीस की वसूली नहीं/कम हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद सम्बंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मई 2008 तथा फरवरी 2008 के बीच कहा कि वक्तव्य की वसूली हेतु वाहन मालिकों को मौग पत्र भर्जित किया जाएगा। जागे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए है (अक्तूबर 2008)।

मामले सरकार की अग्रेज तथा मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्तूबर 2008)।

विमागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका में आठ, अररिया, मुजफ्फरपुर, रोहपुर एवं शिवहर जिला परिवहन कार्यालय अंतर्निहित है।

1. जिला परिवहन कार्यालय, शिवहर:- इस जिले में कुल 21 वाहनों का मामला है। जिसमें से क्रमांक 4 पर अंकित वाहन से 5000.00 रु जमा कराया गया। क्रमांक 9 एवं 21 पर अंकित वाहन का वर्ष 2003 के पूर्व ही मनपसंद शुल्क जमा किया गया। शेष 18 वाहनों का मनपसंद नम्बर रद्द कर सामान्य नम्बर आवंटित किया गया।
2. जिला परिवहन कार्यालय, मोरपुर:- कुल 06 आपत्तिग्रस्त वाहनों में सन्निहित राशि 30,000.00 रु है। वाहन स्वामियों पर उक्त राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्रवाच दायर किये गये हैं।
3. जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 7 है जिसमें सन्निहित राशि 34900.00 रु है। उक्त सभी वाहनों पर नीलाम पत्रवाच दायर किया गया।
4. जिला परिवहन कार्यालय, अररिया:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 27 है जिसमें सन्निहित राशि 135000.00 रु है। उक्त सभी वाहनों पर नीलाम पत्रवाच दायर किया गया।
5. जिला परिवहन कार्यालय, रोहपुर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 5 है जिसमें सन्निहित राशि 25000.00 रु है, जिसके विरुद्ध 1 वाहन से वसूली गई राशि 5000.00 रु एवं 4 वाहनों पर नीलाम पत्रवाच दायर किया गया जिसकी राशि 20000.00 रु है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 21/12/2012 को बैठक में समिति द्वारा इस विषय के कार्य में निम्नलिखित कार्य की वसूली कर समिति को वापस करा देने का निर्णय लिया गया।



सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तिर्यौ) वर्ष 2009-10
की कंडिका 4.11 पृष्ठ 58 पर द्रष्टव्य ।

4.11 परिवहन वाहन चलाने के लाइसेंस का अनियमित निर्गमन

चार जिला परिवहन कार्यालय

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 9 के तहत लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी मोटर चलाने के लाइसेंस वैसे आवेदकों को प्रदान करते हैं जिसके पास एसी श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए उस श्रेणी का लर्नेस लाइसेंस हो और उसने वाहन को चलाने के लिए दक्षता जाँच उत्तीर्ण की हो। पुनः केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 10 के साथ पठित धारा 7(1) जैसा कि विहित है, के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नेस लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास न्यूनतम एक वर्ष के लिए हल्के मोटर वाहन को चलाने का लाइसेंस न हो।

हमने नवम्बर 2009 और मार्च 2010 के बीच व्यावसायिक मोटर चलाने के लाइसेंस पंजियों से देखा कि वर्ष 2008-09 के दौरान 7,498 व्यावसायिक वाहन लाइसेंस वैसे आवेदकों को स्वीकृत किये गये थे जिनके पास हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था। इस भूल से न केवल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन के फलस्वरूप ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने हेतु वसूलनीय फीस के रूप में ₹ 15.75 लाख

के सरकारी राजस्व की हानि हुई, बल्कि इसमें सड़क सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल थे।

हमलोगों के इंगित किये जाने के पश्चात् जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने कहा कि इस राशि की वसूली लाइसेंस के नवीनीकरण के समय कर ली जायेगी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया ने कहा कि सूचना निर्गत की जायेगी जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, गया और मुजफ्फरपुर ने कहा कि निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

मामले सरकार को मार्च और अप्रैल 2010 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ- इस राशि की वसूली लाइसेंस के नवीकरण के तहत अबतक 3,10,000.00 (तीन लाख दस हजार) ₹0 तक की वसूली कर ली गई है। शेष राशि की वसूली लाइसेंस के नवीकरण के समय की जा रही है।
2. जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर- इस राशि की वसूली लाइसेंस के नवीकरण के समय की जाती है।
3. जिला परिवहन कार्यालय, पटना- इस कंडिका में 1266 व्यावसायिक मोटर चलाने का लाइसेंस निर्गत किया गया है, जिसमें से 96 व्यावसायिक मोटर वाहन अनुज्ञप्तिधारी से 20,160.00 ₹0 की वसूली की गयी।
4. जिला परिवहन कार्यालय, गया- वर्ष 2008-09 के दौरान प्रदत्त व्यावसायिक वाहन लाइसेंसों के नवीकरण के समय वर्तमान में नवीकरण शुल्क 50 ₹0 के अतिरिक्त निम्नी लाइसेंस निर्गमन हेतु अनुमान्य शुल्क 140 रूपय तथा व्यावसायिक अनुज्ञप्ति हेतु निर्गम लाइसेंस के लिए अनुमान्य 70 रूपये यामि कुल 260 रूपये का शुल्क प्राप्त किया जा रहा है। अबतक कुल 75 मामलों में शुल्क वसूली की जा चुकी है। शेष शेष मामलों में भी अनुमान्य शुल्क की वसूली की जायेगी।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 27.9.2012 की बैठक में समिति द्वारा नीचे सूची में के अन्दर यथा की सूची कर समिति के संयुक्त किया जाय, इस निदेश के साथ निर्णयित किया गया।

स्थान - पटना

दिनांक - 22.2.13

प्रतिष्ठान
स्वायत्ति 22/2/13
लोक सेवा समिति

संख्या ली०/ली०/१२(एनएस-II)/२०१२-१३/१४७
No.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना-800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800 001

दिनांक/Date: ०६/०३/२०१३

सेवा में,

उप सचिव
बिहार विधान सभा,
पटना।

विषय :- लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन सं० ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५१० में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण।

प्रसंग :- आपका पत्र सं.- (१) २लो.ले.स.-२६/१३-१६७/वि.स.,
(२) २लो.ले.स.- २७/१३-१६८/वि.स.,
(३) २लो.ले.स.-२८/१३-१६९/वि.स.,
(४) २लो.ले.स.-२९/१३-१७०/वि.स.,
(५) २लो.ले.स.-३०/१३-१७१/वि.स.
दिनांक ०१.०३.२०१३।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में कहना है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल एवं राज्य प्राप्ति) की परिवहन विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन सं. ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८ एवं ५१० में आवश्यक सुधार तथा संपरीक्षण के पश्चात् मूल रूप में वापस किया जा रहा है।

अनुलग्नक:- प्रासंगिक पत्रों के अनुलग्नकों की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)
०६/०३/१३
वरिय लेखापरीक्षा अधिकारी
बिहार, पटना